गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 द्वारा प्रमाणित संस्था)

द्वारा

इन्दिरापुरम योजना स्थित ग्रीन पार्क

में

बोट एवं ओपन जिम संचालन हेतु नियम एवं शर्तो की विवरणिका।

एक सुन्दर शहर..................हमारा संकल्प

मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)– ₹ 1298.00/–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2000 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

कार्य का नाम–इन्दिरापुरम योजना स्थित बोट एवं ओपन जिम का पॉच वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।

<u>बोट एवं ओपन जिम संचालन हेतु नीलामी की नियम व शर्तें</u>

1. बोट एवं ओपन जिम संचालन की अवधि पॉच वर्ष की होगी।
2. नीलामी के समय ₹ 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/नकद जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, जमा कराना होगा। बिना जमानत धनराशि के प्रतिभाग की अनुमति नहीं होगी।
3. नीलामी के साथ नीलामीदाता को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व मतदाता पहचान पत्र की प्रति जमा कराना होगा।
4. प्राधिकरण परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है। नीलामी के समय मोबाइल बन्द रखना होगा।
5. जबतक उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी के तीन दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करा दी जाती है तब तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की जमानत की धनराशि वापस नहीं की जायेगी। अन्य बोलीदाताओं की जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
6. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त सर्वोच्च बोली की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एवं सर्वोच्च बोली पर निर्धारित देय कर की धनराशि सहित 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की दशा में पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी, तथा पुनः नीलामी आहूत की जायेगी।
7. प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय प्रस्तावक को उच्चतम बोली पर प्रस्तावित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक प्रथम उच्चतम प्रस्तावक की बोली पर कार्य लेने में सहमत होता है तो उससे लिखित सहमत प्राप्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक को उच्चतम प्रस्ताव के बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए समस्त कार्यो हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा
8. आयकर प्राविधानों के अनुसार वाटर गेम जोन की स्थापना एवं संचालन हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित टी0डी0एस0 के रूप में अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी। टी0डी0एस0 की देय धनराशि बोटिंग एवं ओपन जिम संचालन स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
9. ठेके के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
11. नीलामी की स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
12. ठेकेदार द्वारा टिकट/पास के निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूल नहीं की जायेगी। शर्त के उल्लंघन की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी

आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।

13. नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति (बोट एवं ओपन जिम स्थल) का कब्जा कार्य आदेश जारी करने के बाद प्रदान किया जायेगा। नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और बोलीदाता को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो बोलीदाता को उक्त निर्णय मान्य होगा।

14. नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति व उसके आस–पास की सफाई तथा झील एवं ओपन जिम का रख–रखाव एवं झील तथा ओपन जिम की सफाई का पूर्ण दायित्व बोलीदाता का होगा और बोलीदाता अपने खर्चे पर आवश्यक व्यवस्था स्वंय करेगा।

15. स्थल को अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी व नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और स्थल पर ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे बोलीदाता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।

16. अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझाव बोलीदाता को मान्य होंगे।

17. नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता के अदा करने का दायित्व बोलीदाता का होगा, प्राधिकरण उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

18. ग्रीन पार्क में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।

19. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त बोलीदाता द्वारा तय धनराशि वार्षिक किस्तो में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।

20. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन एवं किसी भी समय अनुज्ञप्ति को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।

21. प्राधिकरण द्वारा बोट एवं ओपन जिम संचालन समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

22. नीलामी स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।

23. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

24. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी भ्रमणकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।

25. संचालनकर्ता को नियत दरो को अंकित करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी। तदानुसार ही संचालनकर्ता धनराशि वसूल कर सकेगा। यदि संचालनकर्ता द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।

26. स्थल पर विद्युत कनैक्शन तथा उस पर व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा। संचालनकर्ता को प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता की दशा में उपयोग की गयी विद्युत की प्रतिपूर्ति के रूप में धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमा करनी होगी। समय से भुगतान न करने पर अर्थदण्ड भी संचालनकर्ता को जमा करना होगा।

27. बोलीदाता स्थल पर किसी प्रकार का खोखा/ठेला अथवा हॉकर्स की स्थापना नहीं करेगा। विशेष परिस्थिति में नियम शर्तो के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जायेगी।

28. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट–फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।

29. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विभागीय/स्टाफ के लिए बोट एवं ओपन जिम संचालन की व्यवस्था में 50 प्रतिशत की छूट रखनी होगी।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायायल एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।

31. निर्धारित दर बोट संचालन हेतु ₹ 50.00 प्रति व्यक्ति प्रति 30 मिनट एवं ओपन जिम संचालन हेतु ₹ 50.00 प्रति व्यक्ति प्रति घण्टे शुल्क रखना होगा। निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूले जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

32. बोटिंग संचालन का समय प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक एवं जिम संचालन का समय प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक रहेगा,

33. निर्धारित दर ओपन जिम संचालन हेतु ₹ 10.00 प्रति व्यक्ति प्रति दिन और ₹ 200.00 प्रति माह शुल्क रखना होगा। निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूले जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

34. जिम संचालन का समय (यथा सुविधाजनक) सम्पूर्ण दिवस रहेगा, तथा शाम 4:00 बजे से 5:00 तक का समय महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा।

35. दरो के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।

36. बोट एवं ओपन जिम संचालन पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

37. स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख–रखाव का दायित्व कार्यरत एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की प्रतिपूर्ति एजेन्सी को स्वयं करनी होगी।

38. बोट एवं ओपन जिम संचालन व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि का उत्तरदायित्व संचालन कर्ता का होगा।

39. बोट एवं ओपन जिम संचालन व्यवस्था में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।

40. बोलीदाता द्वारा आगामी प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत/उपभोगता मूल्य सूचकांक (जो भी अधिक हो) के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ जमा करना होगा।

41. झील के जल भराव हेतु पानी के श्रोत की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, लेकिन जल भरने की व्यवस्था संचालन एजेन्सी स्वयं अपने व्यय से करेगी।

42. ओपन जिम की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, तथा बोट की व्यवस्था बोलीदाता को करनी होगी, तथा बोट एवं ओपन जिम की सफाई एवं मरम्मत संचालनकर्ता एजेन्सी को स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

43. बोट तथा बोट उपयोग करने वाले व्यक्तियों का नियमानुसार बीमा बोलीदाता को अपने व्यय पर कराना होगा, तथा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायित्व संचालन एजेन्सी का होगा।

44. ओपन जिम में 12 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश वर्जित होगा।

45. बोट एवं ओपन जिम संचालन एजेन्सी को ग्रीन पार्क के नियम एवं विनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा।

46. बोट संचालन एजेन्सी को स्थल पर लाईफ जैकेट एवं दो गोताखोर रखना अनिवार्य होगा।

47. जिम के संचालन के लिए अनुभवी प्रशिक्षक रखना होगा, तथा प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखनी होगी।

48. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर दिया जायेगा तथा बोट/ओपन जिम संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

प्रभारी उद्यान
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मैने उपरोक्त 1 से 48 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर **₹**.................................. शब्दो में ....
....प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूॅ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूॅ।

हस्ताक्षर बोलीदाता

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक /उद्यान/20 दिनांक............/........./2020

नीलामी सूचना

उपाध्यक्ष गाजियााबद विकास प्राधिकरण की तरफ से प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार कार्यों हेतु नीलामी प्रस्तावित हैः–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	समय अपरान्हः–3:30 बजे				स्थलः–प्राधिकरण सभागार			
		स्थलों की संख्या	ठेका अवधि	आरक्षित दर (एक वर्ष के लिए ₹)	फार्म फीस जी0एस0टी0 सहित	धरोहर राशि (₹)	फार्म विक्रय की प्रारम्भ तिथि	फार्म विक्रय की अन्तिम तिथि	नीलामी आहुत करने की तिथि
1.	**इन्दिरापुरम योजना स्थित ग्रीन पार्क पार्क में बोट एवं ओपन जिम संचालान का कार्य।**	**01**	**5 वर्ष**	**1,64,000.00**	**1298.00**	**1,00,000.00**	**02.09.2020**	**08.09.2020**	**10.09.2020**
2.	राजेन्द्र नगर योजना स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क पार्क में स्थापित ओपन जिम संचालन का कार्य।	01	2 वर्ष	1,98,000.00	1298.00	50,000.00	02.09.2020	08.09.2020	10.09.2020
3.	हिण्डन नदी के किनारे करैहडा गॉव के निकट सिटी फॉरेस्ट में बोटिंग, जिप्सी व हॉर्स सफारी, फूड क्योस्क एवं साईकिलिंग का संचालन का कार्य।	01	5 वर्ष	9,01,886.00	1298.00	1,00,000.00	02.09.2020	08.09.2020	10.09.2020

नीलामी से सम्बन्धित सूचना प्राधिकरण की वैबसाईट www.gdaghaziabad.com पर देखी तथा नियम व शर्तों की विवरणिका निर्धारित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करके उद्यान अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी उद्यान
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद